न्यायालयः—अमनदीपसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.कमांक-302 / 2016 संस्थित दिनांक 25.04.2016 फाई. क.234503003352016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बैहर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

– – – –अ<u>भियोजन</u>

/ / विरूद्ध / /

रामप्रसाद गेरवे पिता झाडूलाल, उम्र—46 साल, जाति कलार, निवासी ग्राम चारटोला थाना मलाजखंड जिला बालाघाट।

– – – – <u>आरोपी</u>

/ / <u>निर्णय</u> / /

(आज दिनांक 12/02/2018 को घोषित)

- 01. आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506 भाग—दो के अंतर्गत अपराध किये जाने का आरोप है कि उसने दिनांक 23.03. 16 को समय सुबह करीब 12:00 बजे अंतर्गत ग्राम चारटोला, भेण्डकी थाना बैहर में आहत / फरियादी शरीबलाल गेरवे को राधेलाल केनार के घर के सामने क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर क्षोभ कारित कर आहत / फरियादी शरीबलाल गेरवे को पत्थर से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित किया एवं फरियादी शरीबलाल गेरवे को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी शरीबलाल ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 23.03.16 को करीब 12:00 बजे गांव के किशोरीलाल केनार के दुकान पर रामप्रसाद का लड़का संदीप गेरवे केरम खेल रहा था तो उसे उसने केरम खेलने से मना किया तो संदीप अपने घर चला गया, उसके बाद वह अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में राधेलाल केनार

<u>फाईलिंग क.234503003352016</u>

के घर के सामने रामप्रसाद गेरवे मिला और उसे बोलने लगा कि उसने उसके लड़के को क्यों डांटा, कहकर मादरचोद, बहनचोद की गंदी—गंदी गाली देने लगा जो उसे सुनने में बुरी लगी और पत्थर पकड़कर उसके सिर में मारा, जिससे सिर में चोट लगने से खून निकलने लगा, तब गांव के मदनलाल केनार, एकराम केनार और उर्मिलाबाई ने बीच—बचाव किया। रामप्रसाद गेरवे जाते—जाते जान से मारने की धमकी देने लगा। उक्त रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा—294, 323, 506 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान फरियादी एवं गवाहों के कथन लिये गये। घ । टानास्थल का मौका—नक्शा, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506 भाग—दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है कि:-

1—क्या आरोपी ने दिनांक 23.03.16 को समय सुबह करीब 12:00 बजे अंतर्गत ग्राम चारटोला, भेण्डकी थाना बैहर में आहत / फरियादी शरीबलाल गेरवे को राधेलाल केनार के घर के सामने क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?

2—क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर आहत / फरियादी शरीबलाल गेरवे को पत्थर से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

3-क्या आरोपी ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी शरीबलाल

गेरवे को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विवेचना एवं निष्कर्षः-

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 से 03:-

नोट — सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी शरीबलाल अ.सा.01 का कथन है कि वह हाजिर आरोपी को जानता है। घटना पिछले वर्ष होली के दिन के 11:00 बजे किशोरी की दुकान के पास ग्राम चारटोला की है। वहाँ पर रामप्रसाद का लड़का केरम खेल रहा था, जिसे उसने मना किया तो वह चला गया और जाकर अपने पिता रामप्रसाद को बताया, जिसके बाद आरोपी रामप्रसाद आया और उसे सिर पर पत्थर से मार दिया, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा। गांव के मदनलाल और उर्मिलाबाई ने उसे पानी पिलाया। फिर उसने घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में की थी, जो प्र.पी.01 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिसवालों ने उसका मुलाहिजा कराया था। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी02 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी शरीबलाल अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 20.03.16 की है, आरोपी उसे मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ दे रहा था, जो उसे सुनने में बुरी लगी तथा आरोपी उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना होली त्यौहार की थी, होली त्यौहार में एक—दूसरे के लिए अश्लील गाली उपयोग करते हैं, जिसका लोग बुरा नहीं मानते हैं, होली त्यौहार में अस्सी प्रतिशत लोग शराब

पिये हुए रहते हैं, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के दिन आरोपी तथा वह शराब पिये हुए था, वह रोज शराब पीता है, वह भी शराब पिये हुए है, घटना के दिन आरोपी से उसकी लड़ाई किशोर की दुकान के कमरे के अंदर हुई थी। साक्षी के अनुसार सड़क पर हुई थी।

- 07— साक्षी शरीबलाल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि होली के त्यौहार होने के कारण व अरोपी के काका होने के कारण आरोपी ने उसे होली के हुड़दंग में गाली दिया था, घटना के दिन वह शराब के नशे में गिरा था, उसी से उसे चोट आयी थी, घटना दिनांक से वर्तमान तक आरोपी ने उसे मारने—पीटने एवं जान से मारने की धमकी नहीं दिया है, घटना के पूर्व से ही जमीन के विवाद को लेकर आरोपी एवं उसके परिवार से उसकी रंजिश है, आरोपी को उक्त घटना के अलावा और दूसरी घटना में उसने आरोपी के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट किया है, वह तथा उसके भाई लोग मिलकर षड़यंत्रपूर्वक आरोपी को झूठा फॅसाये है।
- 08— किशोरीलाल अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना पिछले वर्ष ग्रीष्म ऋतु की ग्राम चारटोला की है। घटना के समय वह अपनी दुकान पर था। प्रार्थी शरीबलाल को चोट लगने पर उसने जाकर देखा था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से पत्थर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था, परंतु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने दस्तावेजों

पर पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर दिया था। पुलिस ने उसे दस्तावेज पढ़कर नहीं सुनाये थे।

- 09— साक्षी कार्तिकलाल अ.सा.03 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना पिछले वर्ष ग्रीष्म ऋतु की ग्राम चारटोला की है। पुलिस ने उसके समक्ष कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही आरोपी को गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके समक्ष आरोपी से पत्थर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था और जप्ती पत्रक पर उसका अंगुटा निशानी है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था और गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 पर उसके अंगुटा निशानी है तथा उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है तथा उसने किसी दस्तावेजों पर अंगुटा नहीं लगाया था।
- 10— साक्षी एकराम अ.सा.06 का कथन है कि वह आरोपी और प्रार्थी को जानता है, जो उसके गांव का है। उसे उनके मध्य किसी विवाद की जानकारी नहीं है। उसके समक्ष आरोपी ने शबीरलाल से कोई गाली—गलौच अथवा मारपीट नहीं की थी। उसके समक्ष आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित नहीं की गई थी। पुलिस ने उसके बयान नहीं लिये थे। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और ना ही उसने घटना के संबंध में पुलिस को कोई बयान दिया था।
- 11— डॉ० एन०एस० कुमारे अ.सा.०५ का कथन है कि वह दिनांक 23.03.2016 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से आरक्षक महिपाल क्रमांक

<u>फाईलिंग क.234503003352016</u>

247 द्वारा आहत शरीबलाल को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था, जिसमें निम्न चोटें पाया था। चोट कमांक एक कटी—फटी जो कि मांसपेशी तक गहराई लिये थी, जो कि सिर के पिछले भाग पर ऑक्सीपिटल बोन पर होना पाया था तथा चोट कमांक दो एब्रेजन जो कि बांये एल्बो ज्वॉईट पर होना पाया था। जांच के समय शराब की बू आ रही थी। उसके मतानुसार चोट कमांक एक के लिये एक्स—रे की सलाह दी गई थी। चोट कमांक दो साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी। उसके जांच के 06 घंटे के अंदर की है। चोट कमांक 01 पर टांके लगाये गये थे। भर्ती हेतु सलाह दी गई, लेकिन आहत द्वारा मना किया गया। उसकी रिपोर्ट प्र. पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त चोट गिरने से आ सकती है तथा उक्त चोटें स्वकारित हो सकती है।

12— साक्षी ख्यालिसंह अ.सा.०४ ने कथन किया है कि वह दिनांक 23.03.2016 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी महोदय द्वारा अपराध कमांक 69/16 अंतर्गत धारा—294, 323, 506 भाग—दो भा.द.वि. का अपराध विवेचना हेतु दिये जाने पर उसके द्वारा दिनांक 25.03.2016 को प्रार्थी शरीबलाल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका—नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया गया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी शरीबलाल, गवाह मदनलाल, एकराम, श्रीमती उर्मिलाबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक 25.03.2016 को आरोपी रामप्रसाद से गवाह किशोरीलाल एवं कार्तिकलाल केनार के समक्ष पत्थर जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही आरोपी को गवाह किशोरीलाल एवं अक्कलिसंह के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। मामला

जमानती होने से आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया था। संपूर्ण विवेचना उपरांत अंतिम प्रतिवेदन उसके द्वारा थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

- 13— ख्यालसिंह अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि प्रकरण के प्रार्थी शरीबलाल के हस्ताक्षर प्र.पी.02 पर उसने थाने में ही लिया था, उसने प्र.पी.02 की कार्यवाही थाने में ही किया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि प्र.पी.03 में जप्त पत्थर का उसने लंबाई, चौड़ाई नहीं नापा था, इसलिये प्र.पी.03 में उसका उल्लेख नहीं किया है। साक्षी के अनुसार वजन किया था, जो 505 ग्राम है। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि गवाह किशोरीलाल के समक्ष आरोपी से पत्थर जप्त नहीं किया था, साक्षी शरीबलाल, मदनलाल, एकराम, उर्मिलाबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख कर लिया था, वह प्रार्थी शरीबलाल से मिलकर प्रकरण में झूठी विवेचना किया है तथा उसने प्रार्थी के कहने पर आरोपी को प्रकरण में झूठा फॅसाया है।
- 14— घटना के तत्काल बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। परिवादी शरीबलाल अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से होती है। परिवादी के कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई गंभीर विरोधाभास एवं लोप नहीं है। परिवादी शरीबलाल अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि साक्षी किशोरीलाल अ.सा.02 के कथनों से भी होती है। परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य कोई गंभीर पूर्व वैमनस्यता स्थापित नहीं हुई है, जिसे लेकर यह माना जा सके कि उसने अभियुक्त को घटना में असत्य रूप से लिप्त किया हो।
- 15— प्रकरण की साक्ष्य से यह दर्शित नहीं है कि परिवादी द्वारा अभियुक्त को गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया गया हो। परिवादी शरीबलाल

<u>फाईलिंग क.234503003352016</u>

अ.सा.01 की साक्ष्य तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट से उसकी पुष्टि, डॉ० एन०एस० कुमारे अ.सा.05 की चिकित्सा साक्ष्य से परिवादी की चोटों की पुष्टि एवं साक्षी किशोरीलाल अ.सा.02 की साक्ष्य से परिवादी के कथनों की पुष्टि से यह युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्त ने पत्थर से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की।

- 16— परिवादी शरीबलाल अ.सा.01 के अनुसार घटना होली त्यौहार की है। आरोपी उसे मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ दे रहा था। न्यायदृष्टांत शरद दवे वि० महेश गुप्ता, 2005(4)एम.पी.एल.जे.330 के अनुसार केवल अश्लील गालियाँ धारा—294 भा.द.वि. का अपराध गठित नहीं करती है तथा न्यायदृष्टांत बंशी विरूद्ध रामिकशन, 1997(2) डब्ल्यू.एन.224 के अनुसार केवल गालियाँ दिया जाना इस अपराध को गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उक्त वैधानिक स्थिति के प्रकाश में मात्र परिवादी शरीबलाल अ.सा.01 की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त रामप्रसाद ने परिवादी को लोक स्थान के समीप अश्लील शब्द उच्चारित किया व उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया।
- 17— भारतीय दण्ड संहिता की धारा—506 के अपराध हेतु आवश्यक है कि अभियुक्त का आशय आहत व्यक्ति को अभित्रास कारित करना हो तथा यह बात निष्काम होगी कि आहत अभित्रस्त होता है की नहीं, तथापि अभित्रास कारित करने के किसी आशय के बिना किन्हीं शब्दों की मात्र अभिव्यक्ति धारा—506 को काम में लाये जाने के लिये पर्याप्त नहीं होगी। वर्तमान प्रकरण में घटना के तुरंत बाद प्रथम सूचना दर्ज किया जाना दर्शित है। प्रकरण की साक्ष्य तथा घटना के बाद आहत के आचरण से यह दर्शित नहीं होता कि अभियुक्त द्वारा उक्त आरोपित अपराध कारित किया गया है, क्योंकि मात्र धमकी देकर घटनास्थल से चले जाने से इस धारा की आवश्यकतायें पूरी नहीं होती। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत अमूल्य कुमार बेहरा वि० नबधन बेहरा 1995 सी.आर.एल.जे. 3559 (उडीसा) तथा सरस्वती वि० राज्य 2002 सी.आर.एल.जे.1420 (मद्रास)

अवलोकनीय है। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। अतः अभियुक्त रामप्रसाद गेरवे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 भाग—दो के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

18— अभियुक्त द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

> (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

पुनःश्च-

- 19— दंड के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त एवं परिवादी एक ही ग्राम के है। ऐसी स्थिति में उसके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।
- 20— बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि दर्शित नहीं है। ऐसी स्थित में कारावास का दंड दिये जाने से उभयपक्ष के मध्य वैमनस्यता तथा विवाद बढ़ने की संभावना है। फलतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध को देखते हुए उसे सामान्य दण्ड दिये जाने से न्याय की पूर्ति संभव है। अतः अभियुक्त रामप्रसाद गेरवे को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323 के अपराध के लिये न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000/—(एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में अभियुक्त को अर्थदण्ड की राशि के लिये एक माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

- 21— अर्थदंड की संपूर्ण राशि धारा—357(1)(बी) द.प्र.सं. के तहत परिवादी शरीबलाल को अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, अपील न होने की दशा में, अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।
- 22— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक पत्थर मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
- 23— प्रकरण में अभियुक्त अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा–428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 24- अभियुक्त को निर्णय की एक प्रति धारा—363(1) द.प्र.सं. के तहत् निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

All Silving Si